माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक — /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/6370

नारायण पिता कालू उम्र 80 वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम चिरोला तहसील बड़नगर जिला उज्जैन — आवेदक

विरूद्ध

1. वरदीचन्द पिता धुलजी
2. रतनलाल पिता धुलजी

दोनों निवासीगण ग्राम चिरोला तहसील बड़नगर जिला उज्जैन --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के प्र.क्र. 470/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 06–12–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश जैर निगरानी, विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत है क्योंकि अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय के समवर्ति निष्कर्ष को निरस्त करने में त्रुटि की है।

3. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक ने विधिवत ग्राम चिरोला तहसील बड़नगर में पुराने सर्वे नंबर 259/1, 259/2, 371/मीन, 374/मीन, 371/2, 338/1 जिनके बंदोबस्त पश्चात नये नंबर 346, 348, 350, 563 बने जो राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम पर दर्ज थे जबकि

(18)

नारायण | [illegible]

(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / उज्जैन / भू.रा. / 2017 / 6370 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं होने से स्थगन अमान्य किया जाता है । 2/ प्रकरण पूर्ववत् नियत । पेशी दिनांक 21–3–2018 उज्जैन कैम्प अध्यक्ष	
21/3/18	आवेदक अभि. श्री ए. आर. यादव उप.। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते । cf – 23/3/18. [illegible]	
23-3-2018	आवेदक की ओर से श्री ए. आर. यादव, अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुए, प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	23/3/18